प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश, सिवान

हुसैनगंज थाना कांड संख्या 81/2020

11.08.2021 हुसैनगंज थाना कांड संख्या 81/2020 के अंतर्गत धारा 147,148,149,341,323,379,307,427,504,506 भा.द.वि., धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3(1)(r)/3(2)(va) अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के अभियुक्तगण मुकेश पाण्डेय उर्फ दिवाना पाण्डेय, ओमप्रकाश यादव उर्फ ओमप्रकाश चौधरी, अजय कुमार यादव उर्फ अजय कुमार, मनु कुमार यादव उर्फ मनु कुमार, आनंद कुमार एवं सोनू कुमार पंड़ित आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किये। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। इनकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शुभाष्कर पाण्डेय एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को एवं सूचिका इलायची देवी कसे स्टुडियों कोर्ट में सुना एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका इलायची देवी का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 14.04.2020 को करीब 1:30 बजे दिन में वह अपने खेत में खाद डालने जा रही थी तभी अभिषेक पाण्डेय, ओमप्रकाश चौधरी, दीपक कुमार, विवेक कुमार, मन्नु कुमार, आनंद कुमार, अजय कुमार, हिमांशु पाण्डेय एक समूह बनाकर बोले कि बोरा में शराब लेकर जा रही है। सूचिका उन्हें बोरा खोलकर खाद दिखाई तो वे गाली गलौज करने लगे। सूचिका खेत में खाद डालकर वापस आई उसके पश्चात् उपरोक्त सभी व्यक्ति एवं रितेश पाण्डेय, प्रमोद कुमार पंडित, सोनू कुमार पंडित, सोनू कुमार, सुधीर कुमार, अभिषेक कुमार, दिवाना पाण्डेय, रवि राज, नितेश पाण्डेय अन्य अज्ञात 15 व्यक्तियों के साथ हरवे हथियार से लैस होकर आये और जातिसूचक गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। सूचिका को बचाने उसके पति विनोद राम लड़का अजय कुमार, ओमप्रकाश राम लड़की निलम कुमारी एवं पड़ोस के सावित्री देवी आई तो उक्त सभी लोग लाठी, डंडा, हॉकी, लोहे के रॉड से मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिये। अभिषेक पाण्डेय हाथ में लिए पिस्टल से जान मारने की नियत से फायरिंग कर दिये। रितेश पाण्डेय सूचिका के कान से बाली चोरी के नियत से छींन लिये।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि प्राथमिकी से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्तों के विरूद्ध सूचिका अथवा किसी अन्य को जाति सूचक गाली गलौज करने अथवा जान से मारने के नियत से मारपीट करने का स्पष्ट आरोप नहीं है और फायरिंग का आरोप सहअभियुक्त अभिषेक पाण्डेय एवं चोरी का आरोप रितेश पाण्डेय पर है। इनक यह भी तर्क है कि जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन में चिकित्सक द्वारा सभी जख्मियों के जख्म को साधारण प्रकृति का होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में इनका तर्क है कि मामले

में धारा 307,379 भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम अथवा विशेष अधिनियम का आरोप आकर्षित नहीं होता है। इनका यह भी तर्क है कि यह मामला संधि हो चुका है तथा मामले के सहअभियुक्तगण जमानत पर है। अतः उक्त के आलोक में इन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डंडा, हॉकी एवं लोहे के रॉड से मारपीट कर जख्मी करने का आरोप है और साक्षियों ने भी अनुसंधान के दौरान घटना के समर्थन में व्यान दिया है। इनका आगे कथन है कि सूचिका उपस्थित है और मामला संधि करने की बात कहती है।

सूचिका एवं सूचक पक्ष के जख्मियों द्वारा कथन किया गया कि मामला संधि कर लिया गया है और आवेकदगण को जमानत मिलने पर उन्हें कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त तर्कों, तथ्यों, परिस्थितियों आवेदक अभियुक्तों के विरूद्ध सूचिका अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी घातक हथियार से मारपीट करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप नहीं होने, मामले के जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन में चिकित्सक द्वारा सभी जख्मों को साधारण प्रकृति के पाये जाने तथा मामले में सहअभियुक्तों को पूर्व में जमानत का लाभ मिलने तथा जमानत प्राप्त अभियुक्तों के समान ही इस आवेदकगण पर आरोप होने को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त आवेदक अभियुक्तगण को मो0 10,000/रुपये के बंधपत्र इतनी ही राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर इन्हें जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

ह0/

ए.डी.जे. प्रथम

वि0 न्या0 सिवान